न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

प्र0सं0 तारीख दायरा तारीख फैसला

15 / 2018 13.11.2018 11.01.2024

पीठासीन अधिकारी– विजेन्द्र कुमार मीणा (आर0ए0एस0)

उनवान

1– चन्द्रकान्ती पुत्री रामलाल पत्नी पूरणमल जी जाति मीणा निवासी आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास करीर का खेड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
(प्रतिवादी)

वादनी की ओर से – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी व उसके भ्राता व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते खाता नं0 39 नया पुराना 39 पर खसरा नम्बर 41 की 0.95 हे0, खसरा नम्बर 58 की 0.18 हे0, खसरा नम्बर 169 की 0.38 हे0, खसरा नम्बर 191 की 1. 55 हे0, कुल 4 किता की 3.06 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 संलग्न है।

2– यह कि वादनी का नाम चन्द्रकान्ती है ओर उसके पिता का नाम रामलाल व पति का नाम पूरण मल है। पूर्व में उक्त भूमि में वादनी के पिता रामलाल का 1/2 हिस्सा था उनकी मृत्यु के बाद सहवन से इंतकाल खोलते समय वादनी का नाम चन्यद्रकान्ती के स्थान पर कन्ताबाई दर्ज हो गया। जबकि वादीन का नाम चन्द्रकान्ती ही है। वादनी के राशन कार्ड व आई डी कार्ड व पेन कार्ड में चन्द्रकान्ती दर्ज है।

3– यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम चन्द्रकान्ती के स्थान पर कन्ता बाई अंकित कर दिया है जिस कारण ऋण, खाद बीज आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसके कारण वादनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगी। वर्तमान में भी वादनी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नही हो रही है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज0)

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम कन्ताबाई अंकित है के स्थान पर चन्द्रकान्ती दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादनी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 01.10.2018 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5— यह कि वाद कारण प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम चन्द्रकान्ती के स्थान पर कन्ताबाई दर्ज कर दिये जाने के कारण व दिनांक 1.10.2018 को वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में कन्ता बाई के स्थान पर चन्द्रकान्ती अंकित कर दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादनी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

कि ग्राम आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी व उसके भ्राता व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते खाता नं0 39 नया पुराना 39 पर खसरा नम्बर 41 की 0.95 हे0, खसरा नम्बर 58 की 0.18 हे0, खसरा नम्बर 169 की 0.38 हे0, खसरा नम्बर 191 की 1.55 हे0, कुल 4 किता की 3.06 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम कन्ताबाई के स्थान पर चन्द्रकान्ती दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादनी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1— नकल जमाबन्दी सवंत् 2072—2075 ग्राम आमोरा
2— नकल छाया प्रति राशन कार्ड
3— नकल छाया प्रति भामाशाह कार्ड
4— नकल छायाप्रति आधार कार्ड
5— नकल छाया प्रति पेन कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जाकर विशेष कथन किया है कि प्रकरण में रिपोर्ट पटवारी अनुसार कन्ताबाई पुत्री रामलाल व चन्द्रकान्ती पुत्री रामलाल एक ही महिला के नाम से जानते है। बचपन में चन्द्रकान्ती को कन्ता के नाम से बुलाते थे। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में कन्ता बाई के स्थान पर चन्द्रकान्ती पुत्री रामलाल दर्ज करने की अभिशंषा की है।

प्रश्नगत प्रकरण में जवाब प्रतिवादी सहमति परक होने से प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। प्रकरण में साक्ष्य के रूप में स्वंम का शपथ प्रस्तुत है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस वादनी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादनी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं वादनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व मनन किया गया।

वादनी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं जवाब सरकार से स्पष्ट होता है कि वादनी का नाम कन्ताबाई व चन्द्रकान्ती एक

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

सा के नाम है। पत्रावली के अवलोकन से वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में कन्ताबाई स्थान पर चन्द्रकान्ती पुत्री रामलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी व उसके भ्राता व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते खाता नं0 39 नया पुराना 39 पर खसरा नम्बर 41 की 0.95 हे0, खसरा नम्बर 58 की 0.18 हे0, खसरा नम्बर 169 की 0.38 हे0, खसरा नम्बर 191 की 1.55 हे0, कुल 4 किता की 3.06 हेक्टर भूमि में कन्ताबाई के स्थान पर चन्द्रकान्ती पुत्री रामलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद